राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांक :– एफ 3 (ग) ए.सी.पी. /1990–II /अलेसे–II / 3258-65 दिनांक:– 03.08.2011

कार्यालय आदेश संख्या 171/2011–12

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11(7)एफडी/रूल्स/2008/दिनांक 12.9.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ–14 (88)एफडी(नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नांकित लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर सीधी भर्ती परीक्षा उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण किया था तथा जिन्होने 18 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय ए.सी.पी. पी.बी.–2, 9300–34800 पे–बैण्ड एवं ग्रेड–पे 4200 स्वीकृत किया जाता है।

क्र. स.	नाम लेखाकार (सर्वश्री)	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	ए.सी.पी. स्वीकृति दि0	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	प्रेम प्रकाश भाम्मी	27.10.1965	21.06.1993	21.06.2011	
2.	ठाकरसी दास मीणा	01.07.1965	27.07.1993	27.07.2011	
3.	गोविन्द सहाय मीणा	15.05.1958	21.06.1993	21.06.2011	
4.	रामजी लाल रैगर	15.07.1966	26.07.1993	26.07.2011	

उपरोक्त लेखाकारो के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14 (88) एफडी (नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तो के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त उल्लेखित लेखाकारो के क्रम संख्या 1 से 3 पर वांछित वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (88) वित्त/नियम/08 दिनांक 7.6.11 द्वारा स्पष्टीकरण के आधार पर गत वर्षो की प्राप्त एपीएआर व संतोषजनक सेवा एवं प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए.सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन मे प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे मे निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त लेखाकारो का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ–14 (88) एफडी (नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित लेखाकारो की सेवापुस्तिका मे की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित लेखाकारो ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 मे पे–ग्रेड 3600 मे वेतन प्राप्त कर रहे है।

निदेशक

क्रमांक :– एफ 3 (ग) ए.सी.पी. /1990–II /अलेसे–II / 3258-65 दिनांक:– 03-08-2011

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष...
2. श्री...लेखाकार, कार्यालय...
   ....
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी/गार्ड फाईल/गोपनीय अनुभाग/~~कम्प्यूटर~~ अनुभाग (वेबसाईट हेतु)

संयुक्त निदेशक (कार्मिक–I)

F:/Teekam/S.M.Guptaji/ACP Orders